भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3772

(11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए पैकेज

3772. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में अवसंरचना और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8,508 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास पैकेज को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण रोजगार और आजीविका की स्थिरता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर लाई गई विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (वीबी-जी राम जी) योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 153 लाख कार्य श्रम-दिवस स्वीकृत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वीबी-जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल के लिए निधि की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) : विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम 2025 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, वीबी-जी राम जी योजना को 1 जुलाई, 2026 से पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 (01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए) के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में 8508 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तदनुसार राज्य को मजदूरी रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और राज्य में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियां बनाने में सक्षम करने हेतु विभिन्न घटकों के लिए 1264.49 करोड़ रुपये की राशि की मूल स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।

यह उल्लिखित है कि वीबी-जी राम जी के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को श्रम दिवस के रूप में किसी भी श्रम बजट की मंजूरी नहीं दी जाती है। हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य में दिनांक 01.06.2026 से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के पुनः आरंभ होने के बाद जून, 2026 माह के लिए, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 153 लाख श्रम दिवस को मंजूरी दी गई थी।